संख्या-146/2022/001-1081-24-1-2022-841-2017

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए0डी0बी0 से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-233/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2022-23/426/2021, दिनांक 18 मई, 2022, पत्र संख्या-344/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2022-23/426/2021, दिनांक 02 जून, 2022 एवं पत्र संख्या-684/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2022-23/426/2021, दिनांक 25 जुलाई, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए0डी0बी0 से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 1303,32,00,000/- (रूपये एक हजार तीन सौ तीन करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 1289,68,37,390/- (रुपये एक हजार दो सौ नवासी करोड़ अड़सठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ नब्बें मात्र) में से धनराशि रूपये 149,68,44,212/- (रूपये एक सौ उनचास करोड़ अड़सठ लाख चौवालिस हजार दो सौ बारह मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 149,68,44,212/- (रूपये एक सौ उनचास करोड़ अड़सठ लाख चौवालिस हजार दो सौ बारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801051901400 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को उ.प्र. पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए.डी.बी. से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूंजी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-97-X-2022-23-दिनांक:12-10-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या-146/2022/1081-24-1-2022-841-2017, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।